1	2	3
12	Dredging Corpn. of India	1.44
13	Bharat Electronics Ltd.	20.00
14	Cochin Refineries Ltd.	6.12
15	Indian Telephone Industries Ltd.	21.07
16	Andrew Yule & Co. Ltd.	9.60
17	Hindustan Organic Chemicals Ltd.	20.00
18	Hindustan Cables Ltd.	3.64
19	Madras Refineries Ltd.	16.92
20	Mahanagar Telephone Nigam Ltd.	20.00
21	Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd.	7.49
22	Steel Authority of India Ltd.	10.52
23	Neyveli Lignite Corpn.	6.53
24	National Aluminium Co. Ltd.	12.72
25	Hindustan Zinc Ltd.	25.07
26	Bongaigaon Refineries & Petro-chemicals Ltd.	25.00
27	National Fertilizers Ltd.	2.34
28	Fertilizers & Chemicals (Travancore) Ltd.	1.68
29	Hindustan Photofilms Mfg. Co. Ltd.	12.53
30	CMC Ltd.	16.69

बड़ी कम्पनियों द्वारा अपने अधिकारियों के वेतन में वृद्धि किया जाना

2983. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री वीरेन जे० शाह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जनवरी, 1993 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में प्रकाशित इंडस्ट्री रिजेन्ट्स बिगर पे पैकेट्स फार फारनर्स समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने बड़ी कम्पनियों को उनके प्रबंध-अधिकारियों के वर्तमान वेतन में वृद्धि करने की छूट दे दी है ;

(ग) यदि हां, तो उक्त कम्पनियां अपने प्रबंधकों को कितना अधिकतम वेतन देने में समर्थ होंगी ;

(घ) क्या यह छूट केवल विदेशी कम्पनियों तक ही सीमित है अथवा स्वदेशी बड़ी कम्पनियों और औद्योगिक इकाइयों को भी यह छूट दी गई है ; और

(ङ) सरकार द्वारा केवल प्रबन्धकों के वेतन में ही वृद्धि करने की छूट देने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) अधिनियम के अन्तर्गत निगमित पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों, मान ली गई पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों जो कि पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की समनुषंगी कम्पनी हैं के प्रबन्धक कर्मियों अर्थात् प्रबन्ध/पूर्णकालिक निदेशकों या प्रबन्धकों (मैनेजर) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 की उपधारा (24) में यथा परिभाषित) के पारिश्रमिक को अधिनियम की अनुसूची XIII के साथ पठित धारा 198, 309 तथा 387 के उपबन्धों के अन्तर्गत नियमित होता है तथापि, केन्द्रीय सरकार को अधिनियमि के उपबन्धों के अन्तर्गत, प्रबन्धकीय कर्मियों की अनुसूची XIII में निर्दिष्ट सीमा से अधिक पारिश्रमिक देने की शक्तियां प्राप्त हैं । अधिनियम के अन्तर्गत निगिमित कम्पनियों को विदेशी प्रबन्धकीय कर्मियों के मामले में, प्रत्येक मामले अलग-अलग गुणावगुण के आधार पर, केन्द्रीय सरकार अनुसूची-XIII में किये गये प्रावधानों से अधिक पारिश्रमिक स्वीकृत करती रही हैं । विदेशी प्रबन्ध कर्मियों के पारिश्रमिक को स्वीकृत करते समय आवेदक कम्पनियों में विदेशी पूंजी निवेश, विदेशी निवेशकों द्वारा आवेदक कम्पनयों को तकनीक उपलब्ध कराने, सम्बन्धित प्रबन्धकीय कर्मी का अनुभव तथा व्यवसायिक विशेषज्ञता, उनके द्वारा अतीत में लिए गए पारिश्रमिक आदि पर पूरा विचार किया जाता है ।

(ङ) प्रबन्ध/पूर्णकालीन निदेशकों या प्रबन्धकों (अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (24) में यथा परिभाषित) के अतिरिक्त ऐसी कम्पनियों के अधिकारियों या कार्मिकों को देय पारिश्रमिक अधिनियम द्वारा निगमित नहीं होता तथा कम्पनियां ऐसे कार्यकारियों/कर्मचारियों का पारिश्रमिक निर्धारित करने को स्वतंत्र हैं ।

गुजरात में लघु उद्योग

2984. **श्री रामसिंह राठवा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान गुजरात में कितने लघु उद्योगों की स्थापना की गई है और वे कहां-कहां स्थित हैं ;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में लघु उद्योगों की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई वित्तीय सहायता की मांग की है ;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1992-93 के दौरान प्रत्येक राज्य को लघु उद्योगों की अतिरिक्त इकाइयों की स्थापना के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है ; और

(घ) इन राज्यों में नए लघु उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) :

(क) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार गुजरात में पिछले दो वर्षों के दौरान स्थापित लघु उद्योगों की संख्या इस प्रकार है;—

1990–91	10073
1991–92	11802

वित्तीय वर्षों की स्थापना स्थल व धार सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि, कलेंडर वर्ष 1990, 1991 की सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । **(नीचे देखिये)**

(ख) जी, नहीं । निजी क्षेत्र में लघु औद्योगिक एककों की स्थापना की जाती है और इसके लिए उद्यमियों द्वारा धन स्वयं जुटाया जाता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) नये लघु उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों के स्वयं के नीतिगत उपाय होते हैं । वे पिछड़े क्षेत्रों में निवेश राजसहायता, बिक्री कर में छूट/आस्थगन और औद्योगिक शेड प्राथमिकता के आधार पर, बिजली/